



वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, राँची।

आम जनता से अपील

प्रायः देखा जाता है कि अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा आम जनताओं, व्यावसायियों, ठेकेदारों, विशिष्ठ व्यक्तियों एवं अन्य माननीय व्यक्तियों को भयाकांत करने हेतु कुख्यात अपराधकर्मियों के नाम से रंगदारी की मांग की जाती है। अथवा अन्य प्रकार की धमकियाँ दी जाती हैं। इस परिस्थि से आम जनता को राहत दिलाने हेतु राँची जिला पुलिस मुख्यालय में “ANTI-EXTORTION CELL” का गठन, श्री मनोज कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-द्वितीय के नेतृत्व में किया गया है।

जिनका दूरभाष सं० 0651-2214088 एवं मोबाइल नं० 9431-06142 है। यदि इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है, तो इससे राहत पाने के लिए अविलम्ब आवश्यक सभी सूचनाएँ “ANTI-EXTORTION CELL” के प्राभारी को उपलब्ध करायें। ये सूचनाएँ अंकित दूरभाष नम्बरों पर अथवा मिल कर भी दी जा सकती है। यदि आप चाहें तो उपरोक्त संबंध में सूचनाएँ मुझे भी व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अथवा दूरभाष सं० – 0651-2200237 एवं मोबाइल नं० – 94317-06136 दे सकते हैं।

अतः आप सभी आमजनों से अनुरोध है कि भयमुक्त हो कर ऐसी घटना के संबंध में अविलम्ब सूचना दें, ताकि ऐसे अपराधकर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कठोर कार्रवाई की जा सके। आपके द्वारा सूचना देने के बाद किये जाने वाले कार्रवाई से अपराधियों का मनोबल टूटेगा, ऐसी प्रवृत्ति पर रोक लगेगी तथा आपके शहर एवं झारखण्ड की राजधानी राँची को अपराधमुक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। सूचक का नाम, पता\व्यक्तिगत विवरण पुरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

निवेदक

वरीय पुलिस अधीक्षक,
राँची।